प्रेस विज्ञप्ति

11 नवंबर, 2016

रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक, हरियाणा ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

''एसवाईएल पर निर्णय ऐतेहासिक– राजधर्म निभाएं मोदी''

''देश–धर्म सबसे बड़ा– मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए''

सतलुज–यमुना लिंक नहर हरियाणा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। SYL के नीले पानी पर हरियाणा के कानूनी व संवैधानिक अधिकार पर कल सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय खंडपीठ ने एक ऐतेहासिक निर्णय में अपनी मुहर लगा दी। हरियाणा के किसानों व कांग्रेस पार्टी का लंबा संघर्ष रंग लाया तथा न्याय व सच्चाई की जीत हुई।

समय आ गया है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी अब राजधर्म निभाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो पंजाब के हिस्से में SYL का निर्माण करवाए तथा हरियाणा को पानी का अधिकार दिलवाए। आज गेंद प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी के पाले में है। केंद्र में भाजपा की सरकार है। पंजाब में भाजपा–अकाली दल की सांझी सरकार है व हरियाणा में भाजपा की सरकार है। संविधान की अनुपालना करने, कानून को लागू करने व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मोदी जी की है।

न्याय की कसौटी पर भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री जी को खरा उतरना है। **कोई राजनैतिक कारण या राजनैतिक प्राथमिकता 'देशधर्म' से बड़ा नहीं हो सकता।** यह विषय एक प्रदेश, एक राजनैतिक पार्टी या एक व्यक्ति का नहीं। यह प्यासी धरती की मांग, किसान की मेहनत व खाद्यान्न उत्पादन की बढ़ोत्तरी से जुड़ा है। संशय इसलिए पैदा होता है कि हर बात पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, 24 घंटे से चुप हैं। **हमें उम्मीद है कि मोदी जी देशधर्म, संविधान के शासन व कर्तव्यपरायणता की कसौटी पर चुनावी राजनीति को नहीं तोलेंगे।**

सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण व हरियाणा का अधिकार दिलवाने में कांग्रेस पार्टी व उसके नेताओं ने एक लंबा तथा निर्णायक संघर्ष लड़ा है। इस बारे में निम्नलिखित 8 तथ्य जानना आवश्यक है :–

1. संयुक्त पंजाब में हरियाणा क्षेत्र को पानी का हिस्सा देने के लिए दो समितियां गठित की गईं। 12.1.1965 को 'पंजाब में भूमि और जल उपयोग पर खाद्य समिति', और 20.01.1965 को हरियाणा विकास कमेटी गठित की गई। इन दोनों कमेटियों ने संयुक्त पंजाब के हरियाणा क्षेत्र के लिए 4.56 मिलियन एकड़ फुट पानी देने की सिफारिश की।

2. हरियाणा का गठन 1 नवंबर, 1966 को हुआ। पंजाब रिऑर्गेनाईज़ेशन कानून, 1966 की धारा 78 में उत्तराधिकारी राज्यों को नदियों के पानी का हिस्सा देने का विशेष प्रावधान है। सन 1966 के कानून की धारा 78 के तहत भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जल के आवंटन का निर्णय लेने की पहल की और 24.03.1976 को आदेश/ अधिसूचना जारी की गई और इसे ''इंदिरा गांधी अवार्ड'' कहा गया। हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी का हिस्सा दिया गया।

3. हरियाणा ने एसवाईएल नहर के लिए पंजाब को 10.11.1976 को एक करोड़ रु. और 31.03. 1979 को एक करोड़ रु. और दिए। उस समय अकाली दल सरकार के मुख्यमंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल थे।

4. इस निर्णय के बावजूद दोनों पक्ष अदालती लड़ाई में उलझे रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से यह विवादास्पद मुद्दा दोबारा सुलझाया गया। दिनांक 31.12.1981 को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत रावी–ब्यास नदियों के कुल पानी में से हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी मिला।

5. पंजाब क्षेत्र में एसवाईएल के निर्माण का कार्य 1982 के बाद शुरु हुआ और इसका 95 प्रतिशत कार्य जून, 1987 तक अर्थात कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ।

6. (I) इस बीच पंजाब उग्रवाद की आग से झुलसता रहा। अंत में, दिनांक 24.7.1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष, संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच एक ऐतेहासिक समझौता हुआ, जिसे 'राजीव गांधी लौंगोवाल एकॉर्ड' के नाम से जाना जाता है। इस फैसले के तहत एसवाईएल के पानी के हिस्से के निर्णय हेतु नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश जस्टिस, वी. बी. इराडी की अध्यक्षता में इराडी ट्राईब्यूनल का गठन हुआ।

   (II) दिनांक 30.1.1987 को इराडी ट्रिब्यूनल ने अपना ऐतेहासिक फैसला दिया और 'राईपेरियन सिद्धांत' के आधार पर राजस्थान व दिल्ली के अलावा हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फीट पानी का अधिकार दिया।

7. वर्ष 1991 में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने नहर को पूरा करवाने के लिए पंजाब को निर्देश देने के लिए एक मुकदमा दायर किया। दिनांक 15.1.2002 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक वर्ष के अंदर–अंदर एसवाईएल नहर को पूरा करने के निर्देश देते हुए हरियाणा सरकार के मुकदमे को स्वीकार किया।

8. पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट में 13.01.2003 को मुकदमा दायर कर एसवाईएल नहर बनाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 04.06.2004 को पंजाब के मुकदमे को रद्द कर दिया तथा भारत सरकार को पंजाब से नहर का नियंत्रण लेने और इसका निर्माण करवाने के निर्देश दिए।

   12.07.2004 को पंजाब विधानसभा ने ''पंजाब समझौता निरस्तीकरण कानून, 2004'' पारित किया, जिसके तहत पानी की साझेदारी के सभी आपसी निर्णयों व कोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया गया।

   केंद्र की डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस कानून की वैधता की जांच का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया, जिस बारे 10 नवंबर, 2016 को ऐतेहासिक फैसला आया है।

   उपरोक्त घटनाक्रम स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि हरियाणा के कांग्रेस नेतृत्व ने एसवाईएल के पानी का कानूनी अधिकार दिलवाने की एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हो गया है। अब इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का दायित्व भाजपा व मोदी सरकार पर है। हम आग्रह करेंगे कि मोदी सरकार व प्रधानमंत्री राजनीतिक तोल–मोल से ऊपर उठकर एसवाईएल नहर का निर्माण एक समयबद्ध तरीके से करवा हरियाणा के लोगों के साथ न्याय करेंगे। राजधर्म निभाने व देशधर्म की कसौटी पर खरा उतरने का इम्तिहान भाजपा व प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी का है।